


प्ररूप-15
{ नियम 16(1) देखिए }

शपथ-पत्र



मैं/हम श्री पुत्र श्री आयु
निवासी ग्राम तहसील जिला

मैं/हम, इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. यह कि मैं/हम निम्नानुसार वर्णित भूमि का/के स्वामी/कब्जा धारक हूँ/हैं और प्ररूप 14 में मेरे/हमारे पक्ष में आबंटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिए आवेदित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक आदेश/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त है।

क्र.स.	भूमि का ब्योरा (कॉलोनी और भूखण्ड सं.)	क्षेत्र

2. यह कि मैं/हम, स्थानीय प्राधिकारी को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूंगा/करेंगे।
3. यह कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निदेशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
4. यह कि आवेदित भूमि दी गयी अनुज्ञा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ही उपयोग में ली जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी के विहित मानकों के अनुसार और अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार विकसित की जायेगी।
5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा स्थापित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ-पत्र के पैरा 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और प्रमाणिक है। उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और उसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः इश्वर की सहायता करें।

मेरा द्वारा पहचान की गयी: